

कार्यालय, जनपद न्यायालय हापुड़।

दिनांक- 26 अगस्त 2017 .

निविदा/टेण्डर

जनपद न्यायालय हापुड़ में माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 में कम्प्यूटर से सम्बंधित प्रिंटर HP laserjet P 1566 की 78A एवं HP laserjet P 1008 की 88A की नई कार्टेजों की आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित पंजीकृत फर्मों से निविदा/टेण्डर दिनांक 26.08.2017 तक आमन्त्रित किये गये थे, परन्तु नियत दिनांक 26.08.2017 तक केवल एक फर्म द्वारा निविदा/टेण्डर प्रस्तुत की गयी। प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु उक्त प्रचलित नये नई कार्टेजों की आपूर्ति हेतु निविदा/टेण्डर की अन्तिम तिथि को बढ़ाकर दिनांक 26.09.2017 की सायं 4:00 बजे तक किया जाता है। आवश्यक शर्तों की जानकारी केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय हापुड़ से प्राप्त की जा सकती है।

उपरोक्त वर्णित कम्प्यूटर से सम्बंधित प्रिंटर HP laserjet P 1566 की 78A एवं HP laserjet P 1008 की 88A की नई कार्टेजों की आपूर्ति के लिये निविदा/टेण्डर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित फार्म किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय हापुड़ से 100/-रु० अदा कर प्राप्त किये जा सकते हैं। पंजीकृत फर्मों द्वारा दिनांक 26.09.2017 की सायं 04:00 बजे तक आमन्त्रित किये जायेंगे। प्राप्त निविदा टेण्डर उसी दिन सायं 05:00 कय समिति के समक्ष खोले जायेंगे। टेण्डर खोले जाने के समय फर्मों के प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

Veena Narayan

(वीना नारायण)

अध्यक्ष कय समिति/

अपर जिला जज एफ0टी0सी0 प्रथम

जनपद न्यायालय हापुड़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु-

1. नोटिस बोर्ड, जनपद न्यायालय हापुड़।
2. नोटिस बोर्ड, जिलाधिकारी हापुड़।
3. नोटिस बोर्ड, समस्त तहसीलदार हापुड़।
4. अधिशासी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, हापुड़।
5. नोटिस बोर्ड, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु जिला सूचना अधिकारी हापुड़ को।
7. कम्प्यूटर विभाग को इस जनपद एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु। *21-09-17*

Veena Narayan

अध्यक्ष, कय समिति/

अपर जिला जज एफ0टी0सी0 प्रथम

जनपद न्यायालय हापुड़।

टेण्डर निम्न शर्तों के अधीन प्राप्त किये जायेंगे—

- 1— टेण्डर देने वाली फर्म का व्यापार कर कार्यालय में पंजीकरण होना अनिवार्य है।
- 2— टेण्डर देने वाली फर्म द्वारा आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री का पूर्ण विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
- 3— सामानों की आपूर्ति मासिक/पाक्षिक/दैनिक या तत्काल आवश्यकता अनुसार कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
- 4— भुगतान बजट की उपलब्धता के आधार पर ही किया जा सकेगा। भुगतान में विलम्ब में किसी प्रकार का ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।
- 5— टेण्डर के साथ अंकन 10,000/—रु० का बैंक ड्राफ्ट/चैक जनपद न्यायाधीश हापुड़ के पक्ष में धरोहर राशि के रूप में संलग्न करना होगा।
- 6— स्वीकृतकर्ता अधिकारी (जनपद न्यायाधीश हापुड़) को अधिकार होगा कि वह किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।
- 8— निविदा दाताओं को अपनी निविदा के साथ Tin No., Pan No., Details of Income Tax Return of last 3 years आदि संलग्न करना अनिवार्य है।

Veena Narayan

(वीना नारायण)
अध्यक्ष कय समिति/
अपर जिला जज एफ०टी०सी० प्रथम
जनपद न्यायालय हापुड़।